न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2419–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–15 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त उटीला प्रकरण कमांक 8/11–12/अ–6.

नाथूराम चतुर्वेदी पुत्र ओछेलाल चुतर्वेदी
निवासी बैजल कोठी, गली नं. 1
मुरार, ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

कमलेश चतुर्वेदी पुत्र ओछेलाल चुतर्वेदी
निवासी बैजल कोठी, गली नं. 1 मुरार ....अनावेदक

श्री भारत भूषण, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमलेश चतुर्वेदी, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत्त उटीला द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपर तहसीलदार, टप्पा मुरार, ग्वालियर के समक्ष ग्राम बंधोली, तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 262 रकबा 0.052 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 448 रकबा 0.815 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 664/2 रकबा 0.387 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 724/2 रकबा 0.136 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 733/2 रकबा 0.167 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 779/2 मिन–1 रकबा 0.105 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.662 हेक्टेयर भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/11–12/अ–6 दर्ज कर कार्यवाही

प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15—6—15 को इस आशय का अंतरिम आदेश पारित किया गया कि प्रश्नधीन भूमि के संबंध में सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ग्वालियर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित की जाती है । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से अनेक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा भी अनावेदक को आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने की चेतावनी दी गई है, इसके बावजूद भी अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर उनके न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपीलीय प्राधिकारी एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आदेशित किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित रहने से राजस्व न्यायालय कार्यवाही नहीं रोकेगी, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय एवं कलेक्टर को नोटिस जारी किये गये हैं । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 117, 257 एवं 257 (1) के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने से तहसील न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता है। तर्क में यह भी का गया कि वर्ष 1998 की वसीयत है, जिसे हस्ताक्षर विशेषज्ञ ने फर्जी बतलाया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वत्व के निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, इसलिए व्यवहार न्यायालय से निराकरण तक तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में अनावेदक के साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं, अतः आवेदक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर निर्णय करा सकता है, और इस न्यायालय द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । तर्कों के समर्थन में 2008 आर.एन. 194 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट में किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया गया है, और हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट अंतिम नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा पूर्व में भी तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित रहने से तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–1–2013 को आदेश पारित कर 3 माह के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1501–पीबीआर/13 में दिनांक 8–5–2013 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ निगरानी निरस्त की गई थी कि जब तक व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है, इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा पुनः तहसील न्यायालय में इसी आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दिया जाये, और तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15–6–2015 को आदेश पारित कर कार्यवाही स्थगित की गई जो कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत होकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन भी है, कारण जब तक व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही रोकना औचित्यपूर्ण नहीं है, मात्र व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित रहने से कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, वृत्त उटीला द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–15 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर